रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22112025-267858
SG-DL-E-22112025-267858

xxxG2IDHxxx
xxxGIDExxx

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54]	दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 2025/कार्तिक 27, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 335
No. 54]	DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 18, 2025/KARTIKA 27, 1947	[N. C. T. D. No. 335

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 18 नवम्बर, 2025

सं. 96/नियम/डीएचसी.—दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से, "दिल्ली उच्च न्यायालय के ई-फाइलिंग नियम 2021" में निम्नलिखित संशोधन करता है, जिसे अधिसूचना सं. 11/नियम/डीएचसी दिनांक 22.02.2022 द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसे दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड-1, सं. 06 (एनसीटीडी सं.476) दिनांक 25.02.2022 में प्रकाशित किया गया था:-

दिल्ली उच्च न्यायालय के ई-फाइलिंग नियम 2021" के मौजूदा नियम 4.1 (ii) के बाद निम्नलिखित नया नियम 4.1(iii) निम्नलिखित तरीके से अंतःस्थापित किया जाएगा:-

iii) व्यक्तिगत वादी (चाहे वह प्रवासी भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक) को

क) फॉर्म देखने के लिए वेब पोर्टल पर जाना चाहिए।

ख) पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें।

ग) आवश्यक विवरण के साथ फॉर्म भरें और जमा करें।

i) भारत के प्रवासी भारतीय नागरिक को प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड या उस संबंधित देश जहां आवेदक रह रहा है, के द्वारा जारी किसी अन्य सरकारी पहचान पत्र की स्व-सत्यापित फोटो कॉपी प्रस्तुत करनी होगी।

ii) विदेशी नागरिक को संबंधित देश के किसी भी सरकारी पहचान पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी होगी, जिस पर आवेदक का नाम और पता अंकित हो।

टिप्पणी 1. आवेदक, जिसके पास कोई सरकारी पहचान पत्र नहीं है, वह विधिवत सत्यापित शपथ पत्र और इस संबंध में सहायक दस्तावेजों के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल पर व्यक्तिगत वादी के रूप में पंजीकरण के लिए अनुरोध दायर कर सकेगा, जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।

2. किसी भी आवेदक द्वारा दायर शपथ-पत्र(त्रों) को नियम 7(ग), अध्याय XIX, दिल्ली उच्च न्यायालय (ओरिजिनल साइड) नियम, 2018 के अनुसार होना चाहिए, जिसके अनुसार भारत के बाहर हस्ताक्षरित शपथ-पत्रों पर 'विदेशी सार्वजनिक दस्तावेजों के लिए वैधीकरण की आवश्यकता को समाप्त करने वाले हेग कन्वेंशन, 1961' के प्रावधानों के अनुसार हस्ताक्षर और एपोस्टिल किया जाना आवश्यक है।

टिप्पणी: यह संशोधन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

न्यायालय के आदेशानुसार

अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 18th November, 2025

No. 96/Rules DHC.—In exercise of its powers under Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) and Article 227 of the Constitution of India, the High Court of Delhi, with the previous approval of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendment in "e-Filing Rules of the High Court of Delhi 2021", which were notified vide Notification No. 11/Rules/DHC dated 22.02.2022, published in Delhi Gazette Extraordinary, Part II, Section-I, No. 06 (N.C.T.D. No. 476) dated 25.02.2022 :-

The following new Rule 4.1(iii) shall be inserted after the existing Rule 4.1(ii) of the "e-Filing Rules of the High Court of Delhi 2021" in the following manner:-

iii) Litigant in-person (whether an overseas Citizen of India or foreign national)

a) Should visit the web portal to view the form.

b) Click the registration link.

c) Fill the form with requisite details and shall submit

i) An Overseas Citizen of India shall submit a self attested photocopy of Overseas Citizen Card or any other Government ID issued by the concerned country where the applicant is residing.

ii) A foreign national shall submit a self attested photocopy of any Government ID of the concerned country bearing the name and address of the applicant.

Note: *1. The applicant, who does not have any Government ID, may file a request for registration as litigant in-person with the e-filing portal along with duly attested affidavit and supporting documents in this regard, which shall be considered by the Competent authority.*

2. The affidavits(s) filed by any applicant should be in accordance with Rules 7(c), Chapter XIX, Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018 which requires that affidavits signed outside India, shall be signed and apostilled in accordance with the provisions of the 'Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents, 1961'.

Note: This Amendment shall come into force from the date of its Publication in the Gazette.

By Order of the Court

ARUN BHARDWAJ, Registrar General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.11.22 09:16:40 +05'30'